

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/281

किशनलाल आयु बालिग आत्मज मोहन लाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम राजापुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

—अपीलान्ट

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, तालेडा जिला बून्दी ।

—रेस्पोंडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।  
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोंडन्ट की ओर से ।

निर्णय


दिनांक: 21.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2004 के द्वारा अपीलान्ट किशन लाल आत्मज मोहन लाल को ग्राम छोट का खेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 62 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 113 मिन रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, कुल कित्ता 04 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि डेयरी फार्म हेतु अनुबन्ध एवं शर्तों के तहत दस साल लीज पर आवंटित की गई थी ।
3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.04.2016 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 29.01.2004 निरस्त करने का आदेश पारित किया ।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।
5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्त के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्त को दिनांक 13.03.2016 के मौके निरीक्षण के सम्बन्ध में न तो कोई सूचना दी और न ही कोई नोटिस दिया, बिना नोटिस व बिना सूचना के अपनी रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया कि उक्त भूमि पर गेहूँ कि फसल खड़ी है जबकि उक्त भूमि पर गेहूँ कि फसल नहीं होकर पशुओं के लिए जौ की फसल थी जो पशुओं के चराने के काम में आती है । इसके अलावा उक्त भूमि पर रजका आदि की फसल थी जो पशुओं के चराने के काम में आती है । इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा न तो कोई जाँच की गई और न ही पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई और न ही पशुओं के सम्बन्ध में कोई पूछताछ की गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलान्त निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आवंटन आदेश की शर्त संख्या 07 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि उक्त भूमि का उपयोग पशुओं के चराने के लिए आहार, खिलाने के लिये उनके रख-राखाव करने के लिए तथा ऐसी फसल या वृद्धा उगाने के लिये किया जावेगा जो उक्त पशुओं के काम में आता है । गेहूँ को बांटे के रूप में दलिया जौ के साथ फीसकर दुधारू भैसों को खिलाने में काम आता है व भूसा के साथ मिश्रण कर उक्त बांटे को खिलाया जाता है जिससे भैंसें अच्छे से उक्त भूसे को खाती है व दूध की अधिकता भी रहती है । इस प्रकार उक्त फसल पशुओं के आहार के लिये ही काम में ली रही है । इसके अलावा उक्त भूमि पर अन्य कोई फसल नहीं बाई जा रही । आवंटन संख्या -9 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि पशुओं के लिए छप्पर, गोदाम, चारा संग्रह करने के लिये स्टोर हाउस, कृषकों या सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए झोंपडे या मकान जल एकत्रित करने के लिए तालाब या इस तरह का निर्माण बनाया जा सकेगा । अपीलान्त द्वारा पशुओं के रहने के लिये पक्का शेड का निर्माण किया हुआ है व उक्त भूमि पर कोई स्थायी ढांचा या भवन नहीं है । उक्त भूमि पशुओं के लिए चारा आदि के उपयोग में ल जा रही है । इस आशय की रिपोर्ट नजदीकी ग्राम डाबी के पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को भेजी गई है । उक्त रिपोर्ट में भी पक्का शेड निर्माण पशुओं के रखने के लिये करने का कथन किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को नजरअन्दाज करते हुए अपीलान्त की उपस्थिति के बिना आवंटन शर्तों का उल्लंघन मानते हुए उक्त आवंटन आदेश को निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या 4, 7, 8 व 9 को पूरी रखते हुए आवंटन अनुबन्ध आवंटन की शर्त संख्या -11 की किसी शर्त या अनुबन्ध की पूर्ति करने में विफल होने पर पट्टेदारी खारिज की जा सकेगी का हवाला देकर उक्त लीज पर किये गये आवंटन को निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्त को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए अपीलान्त द्वारा पेश नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र पर उक्त लीजदारी आवंटन को पुनः नवीनीकृत करने का आदेश पारित किया जावे ।
7. रेस्पोजेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 13.03.2016 को मौका निरीक्षण के दौरान मौके पर आवंटित भूमि के अधिकतर क्षेत्र पर गेहूँ की फसल खड़ी होना पाया गया । कटल रोड बने हुए होना बताया है तथा मौके पर मवेशी भी नहीं मिले तथा पक्का निर्माण भी होना पाया गया था । आवंटि द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 4, 7, 8 व 9 का उल्लंघन किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटि के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक

29.01.2004 निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । जिला कलक्टर, बून्दी ने अपने आदेश दिनांक 29.01.2004 के द्वारा अपीलान्त किशन लाल आत्मज मोहन लाल को ग्राम छोट का खेडा तहसील तालेडा की आराजी खसरा नम्बर 60 मिन रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 62 रकबा 02 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 113 मिन रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, कुल किता 04 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि डेयरी फार्म हेतु अनुबन्ध एवं शर्तों के तहत दस साल लीज पर आवंटित की गई थी ।
9. अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटी द्वारा आवंटन शर्त संख्या 4, 7, 8 व 9 का उल्लंघन मानते हुए आवंटी का आवंटन निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बून्दी ने पशु चिकित्सा अधिकारी, डाबी की रिपोर्ट के अनुसार 44 पशु भेंस वंश के तथा 22 पशु गाय वंश के होना बताया गया तथा पशुओं के रहने के लिए पक्का शेड का निर्माण होना बताया तथा उपखण्ड अधिकारी, तालेडा की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2016 से बताया गया है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना की जा रही है ।
10. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर की निरीक्षण रिपोर्ट जो अपीलान्त की अनुपस्थिति में ही तैयार की गई के आधार पर तथा अपीलान्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका अधीनस्थ न्यायालय में अवलोकन नहीं किया है । प्रस्तुत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी की रिपोर्ट अपीलान्त आवंटी के पक्ष का समर्थन करते हैं तथा अपीलान्त आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाना उल्लेखित किया है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।
11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्त की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का निरीक्षण कर, अपीलान्त आवंटी को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत उपखण्ड अधिकारी, तालेडा की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2016 को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 27.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।
12. निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
 (पंकज कुमार ओझा)  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा